

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
एम0जे0पी0रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 30 अगस्त, 2013

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: रू0वि0/सम्ब0/2013/704-05, दिनांक 23.7.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन खण्डेलवाल कालेज आफ मैनेजमेंट साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, बरेली को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एड0 पाठ्यक्रम/विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.7.2013 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता आदेश निर्गत करने से पूर्व नगर पालिका/परिषद/पंचायत का प्रमाण-पत्र, कक्ष निर्माण का मानचित्र/विवरण, बैंक से शिक्षकों का भुगतान प्रमाण पत्र, अद्यतन अग्निशमन प्रमाण पत्र तथा अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र/कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र/अनुबन्ध पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा :-

- (i) विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बद्धता सम्बन्धी शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के साथ महाविद्यालय द्वारा संलग्न किये गये अभिलेख प्रमाणिक एवं सत्य हैं। विश्वविद्यालय स्तर से इसकी पुनः पुष्टि कर ली जायेगी। अभिलेखों से इतर पाये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय का दायित्व होगा कि सम्बन्धित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति से शासन को तत्काल सूचित किया जाये।
- (ii) महाविद्यालय को प्रदान किये जाने वाले सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है/नहीं किया गया है तो, सम्बद्धता वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी और विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

- (iii) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा-37(2) के द्वितीय परन्तुक में यह व्यवस्था है कि "परन्तु अग्रेतर यह कि जब तक सम्बद्धता की सभी निर्धारित शर्तों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया गया हो, तब तक वह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, जिसके लिये उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।" इस व्यवस्था का अनुपालन विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा-37(6) एवं 37(7) में इस सम्बन्ध में सुसंगत व्यवस्था निम्न है:-
- 37(6):- कार्यपरिषद् प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जायेगी।
- 37(7):- कार्यपरिषद् इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निदेश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।
- उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।
- (v) सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों की पूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा करा ली गयी है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा एक माह में शासन को सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।
- (vi) सम्बद्धता आदेश निर्गत करने के पहले विश्वविद्यालय के कुलपति तथा रजिस्ट्रार इस बात का भली-भाँति परीक्षण कर लेंगे कि विभिन्न मानकों पर पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है और जो भी कमी प्रदर्शित हुयी है उसकी पूर्ति कर ली गयी है। अगर भविष्य में मानकों के विपरीत महाविद्यालयों का संचालन पाया गया व अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आयी तो यह पूर्व अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- (vii) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(viii) मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
अनु सचिव।

संख्या- सम्ब0-357(1)/सत्तर-2-2013-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
- (3) सचिव/प्रबन्धक, खण्डेलवाल कालेज आफ मैनेजमेंट साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, बरेली।
- (4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (5) निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री (श्रीमती अनिता सिंह), उ0प्र0शासन।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
अनु. सचिव



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रु.वि./सम्ब. /2018/ 23/43-03

दिनांक: 09.05.2018

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव

खण्डेलवाल कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी,

बरेली।

विषय: खण्डेलवाल कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, बरेली को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी0एड0 एवं परास्नातक स्तर पर एम0एड0 पाठ्यक्रमों/विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालयको प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब-1145/सत्तर-2-2014-16(258) /2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 09.05.2018 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्था खण्डेलवाल कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, बरेली को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी0एड0 एवं परास्नातक स्तर पर एम0एड0 पाठ्यक्रमों/विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2018 से अग्रेतर सम्बद्धता की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। कमियों/शर्तों की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

01. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जाय अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
02. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों/शर्तों प्राचार्य/प्रवक्ताओं की नियुक्ति/अनुमोदन तथा प्रबन्ध समिति का चयन कर दिनांक 30.06.2018 तक विश्वविद्यालय से अनुमोदित करा लिया जाये एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
04. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
05. कक्षा संचालन से पूर्व कुलपति महोदय द्वारा नामित सदस्य के माध्यम से मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।
06. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैगिंग से मुक्त रखेगी।

07. समस्त महाविद्यालयों को 100 रूपयों के शपथ पत्र पर महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों व व्याख्यान कक्षाओं व प्रयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगात्मक विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गयी है, वहां इस आशय का शपथ पत्र वांछित है कि स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों में पृथक-पृथक प्रयोगशाला है, जो पूर्ण रूप से निर्मित व सुसज्जित हैं।
08. विधि पाठ्यक्रम में बी.सी.आई. से अनापत्ति उपरान्त विश्वविद्यालय से अनुमति के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जाये।
09. विधि पाठ्यक्रमों में बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित तिथि के दृष्टिगत कार्य-परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में सम्बद्धता पत्र निर्गत किया जाये एवं आगामी कार्य परिषद की बैठक में माननीय सदस्यों को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।
10. सभी महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्लैप का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।
11. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।
12. उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 332/सत्तर-3-2018 दिनांक 26 फरवरी 2018 के अनुसार महाविद्यालय भवन तथा अन्य अधिसंयंताओं का निर्माण भूकम्परोधी किया जाना सुनिश्चित करेगा।

भवदीय

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. वित्त अधिकारी, एम०जे०पी०रू०वि०, बरेली।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
05. उप-कुलसचिव सम्बद्धता।
06. निजी सचिव, कुलपति।
07. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
08. परीक्षा नियंत्रक को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
09. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।

कुलसचिव